कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांकः F-37/Dir(P)/LOP/2015/05 दिनांक :– 09/10/2015

ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 01.10.2015 के कार्यवाही विवरण

ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक श्री जोगाराम, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 01.10.2015 को मध्यान्ह 2.30 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यो/अधिकारियो ने भाग लिया :–

1. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण — सदस्य
2. श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण — सदस्य
3. श्री राजेन्द्रसिंह राठौड, उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण — सदस्य
4. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण — सदस्य
5. श्री रविराय वर्मा, निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, — सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त श्री इन्द्रजीत राठौड़, सहायक नगर नियोजक व सैयद वसीम अख्तर, सहायक नगर नियोजक भी बैठक में उपस्थित थे।

समिति के समक्ष सदस्य सचिव द्वारा निम्नलिखित प्रकरण प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार–विमर्श कर उनके आगे निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 3, 4, 26, 27 व 29 की रकबा 55.15 बीघा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री नन्दकिशोर

राजस्व ग्राम दईजर के खसरा नम्बर 3, 4, 26, 27 व 29 की रकबा 55.15 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक–प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं।

तहसीलदार (राजस्व), जोधपुर तथा प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक

आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि तक मुख्य सड़क/आस–पास की सड़को से किसी प्रकार का पहुॅच मार्ग उपलब्ध नही होता है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर पहुॅच मार्ग की उपलब्धता के अभाव में प्रकरण निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

2. **राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 35/4 की रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा 11 बिस्वांसी व 37 की रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा में से 3 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा 11 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पूर्व)**
आवेदक :– श्री किशोरलाल पुत्र श्री रघुनाथराम, श्रीमती बादामी पुत्री श्री रघुनाथराम एवं श्री गोदाराम पुत्र श्री मांगीलाल

राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 35/4 की रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा 11 बिस्वांसी व 37 की रकबा 27 बीघा 01 बिस्वा में से 3 बीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा 11 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि जोधपुर से खारड़ा रणधीर जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है। उक्त भूमि की समीपीय भूमि का योजना मानचित्र ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की इसी बैठक (प्रस्ताव संख्या 7) में विचाराधीन है, जिसमें से प्रस्तावित सड़को से प्रश्नगत भूमि को पहुॅच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रार्थी द्वारा योजना मानचित्र के उत्तरी भाग में 20' चौड़ी भू–पट्टी सड़क के मार्गाधिकार हेतु छोड़ी गई हैं। इसी प्रकार समीपीय भूमि (प्रस्ताव संख्या 7) के भू–स्वामी द्वारा भी 20' चौड़ी भू–पट्टी दोनो भूमियो की मिलाप रेखा पर छोड़ी गई है। इस प्रकार दोनो योजनाओ में प्रस्तावित 20'–20' चौड़ी सड़के मिलकर 40' चौड़े मार्गाधिकार की सड़क निर्मित करती है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि तक पहुॅच मार्ग हेतु प्रस्तावित सड़क को दक्षिण दिशा में लिंक करते हुए समीपीय भूमियो का योजना मानचित्र अनुमोदित करते समय ओर आगे बढ़ाया जाना होगा, ताकि उक्त क्षेत्र में एक बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित हो सके।

समिति द्वारा ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदनानुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुॅच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले-आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्डो, सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

3. राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 71/3 की रकबा 5 बीघा भूमि पर वेयर हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री किशनचन्द

राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 71/3 की रकबा 5 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार वेयर हाऊस एवं गोदाम प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा वेयर हाऊस ईकाई प्रस्तावित की गयी हैं। उक्त भूमि जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' प्रस्तावित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त सड़क के दोनो तरफ 75'-75' चौड़ी वृक्षारापेण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त सड़क के दोनो तरफ 75'-75' भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र, दिनांक 25.03.2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि का पट्टा विलेख प्रार्थी के हक में जारी किया जा सकता हैं, परन्तु उक्त वृक्षारोपण पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा। चूकिं उक्त भूखण्ड वेयर हाऊस हेतु एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः इसका भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नही होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले-आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

4. **राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 71/4 की रकबा 5 बीघा भूमि पर वेयर हाऊस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।**
आवेदक :– श्रीमती खुशाली देवी पत्नि श्री भगवान दास

राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 71/4 की रकबा 5 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार वेयर हाऊस एवं गोदाम प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा वेयर हाऊस ईकाई प्रस्तावित की गयी हैं। उक्त भूमि जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क के उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200′ प्रस्तावित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त सड़क के दोनो तरफ 75′–75′ चौड़ी वृक्षारापेण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200′ रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100′ भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त सड़क के दोनो तरफ 75′–75′ भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने की शर्त पर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र, दिनांक 25.03.2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि का पट्टा विलेख प्रार्थी के हक में जारी किया जा सकता हैं, परन्तु उक्त वृक्षारोपण पट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा। चूकिं उक्त भूखण्ड वेयर हाऊस हेतु एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः इसका भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नही होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

5. **राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 465/2 की रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा 16 बिस्वांसी भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।**
आवेदक :– श्री न्याज मोहम्मद पुत्र श्री सदीक एवं श्री आर.ए. चौधरी पुत्र श्री मुबारक अली

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 465/2 की रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा 16 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार होटल प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क से सरदारसमन्द सड़क को लिंक करने वाली सड़क के उत्तर–पूर्व

दिषा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100′ प्रस्तावित किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर बिना अनुमति निर्माण कार्य करवाया जा रहा हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को नोटिस देकर निर्माण कार्य रूकवाया गया है। प्रार्थी ने न तो प्रश्नगत भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया हैं एवं न ही निर्माण जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के प्रावधानो के अनुरूप है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर प्रश्नगत भूमि पर बिना अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन एवं बिना अनुमति किये गये निर्माण को अवैध मानते हुए नियमानुसार वैधानिक/प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई, जिसमें सम्बन्धित उपायुक्त व निदेशक आयोजना सदस्य होगें। उक्त उपसमिति कार्यवाही विवरण जारी होने के 10 दिवस के भीतर प्रश्नगत भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रस्तुत करेगी। उपसमिति द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार वैधानिक/प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी। सम्बन्धित उपायुक्त को उक्त कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नही किये जाने हेतु भू–स्वामी को पाबन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

6. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 484/1 व 485/1 की कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन–पूर्व)
आवेदक :– कविता सिंह राठौड़ पुत्री श्री कल्याण सिंह राठौड़

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 484/1 व 485/1 की कुल रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार होटल प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क से सरदारसमन्द सड़क (पुरानी सरदारसमन्द सड़क) को लिंक करने वाली सड़क के दक्षिण–पश्चिम दिशा व वर्तमान सरदारसमन्द रोड़ के पूर्व दिशा में स्थित है। इस प्रकार उक्त भूमि दोनो सड़को से लगते हुए है। जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में पुरानी सरदारसमन्द सड़क का मार्गाधिकार 100′ व नयी सरदारसमन्द की मार्गाधिकार 120′ निर्धारित किया गया हैं।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क से सरदारसमन्द सड़क को लिंक करने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि व नयी सरदारसमन्द सड़क को मार्गाधिकार 120' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 60' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर होटल प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। चूकिं उक्त भूखण्ड होटल प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः इसका भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नही होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले-आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

7. **राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 35 की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 09 बिस्वांसी व 35/3 की रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा में से 3 बीघा कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा 09 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्। (जोन-पूर्व)**
आवेदक :- श्री भंवरलाल, श्री शंकरलाल, श्री प्रेमचन्द वगैराह

राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 35 की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा 09 बिस्वांसी व 35/3 की रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा में से 3 बीघा कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा 09 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि जोधपुर से खारड़ा रणधीर जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है। उक्त भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित राजस्व ग्राम खारड़ा रणधीर के खसरा नम्बर 49 व 47/3 की भूमि की योजना मानचित्र में अंकित 40' चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता हैं। उक्त भूमि की समीपीय भूमि का योजना मानचित्र ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की इसी बैठक (प्रस्ताव संख्या 2) में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा योजना मानचित्र में 20' चौड़ी भू-पट्टी सड़क के मार्गाधिकार हेतु छोड़ी गई हैं। इसी प्रकार समीपीय भूमि (प्रस्ताव संख्या 2) के भू-स्वामी द्वारा भी 20' चौड़ी भू-पट्टी दोनो भूमियो की मिलाप रेखा पर छोड़ी गई है। इस प्रकार दोनो योजनाओ में प्रस्तावित 20'-20' चौड़ी सड़के मिलकर 40' चौड़े मार्गाधिकार की सड़क निर्मित करती है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि तक पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तावित सड़क को दक्षिण दिशा में लिंक करते हुए समीपीय भूमियो का योजना मानचित्र अनुमोदित करते समय ओर आगे बढ़ाया जाना होगा, ताकि उक्त क्षेत्र में एक बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित हो सके।

समिति द्वारा ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदनानुसार ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्डो, सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

8. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 272 की रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री कैलाशचन्द्र मोदी

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 272 की रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार अन्य सामुदायिक सुविधा प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क से सरदारसमन्द सड़क को लिंक करने वाली सड़क (पुरानी सरदारसमन्द सड़क) के उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित है।. जोधपुर मास्टर प्लान में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100' प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोयजनार्थ एकल आवासीय पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

बैठक में बाद विचार–विमर्श निर्णय लिया गया कि प्रकरण में उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूखण्ड शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है, अतः भू–उपयोग परिवर्तन का मामला बनता है। भू–उपयोग परिवर्तन होने के पश्चात् प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

9. राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 113 की रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री शंकरराम पुत्र श्री नुकाराम

राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 113 की रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में स्थित रही हैं, जिसका राज्य

स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक, दिनांक 22.10.2010 में परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय किया गया है। उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र जोन स्तरीय ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 24.10.2013 द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रार्थी द्वारा इस योजना मानचित्र में पुनः संशोधन चाहा गया है। जोन शाखा की गार्ड पत्रावली आयोजना शाखा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में संशोधन हेतु प्रेषित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर जोन शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप बनाड़ से उचियारड़ा जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि एवं आवेदित भूमि के दक्षिण में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का पृथक से योजना मानचित्र अनुमोदित किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी, 2009 तथा राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 (10 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सियल, ग्रुप हाऊसिंग एण्ड अदर स्कीमस इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टयर तक क्षेत्रफल) में निर्धारित प्रावधानो के अनुरूप उक्त योजना मानचित्र ई.डबल्यू.एस./एल.आई.जी. वर्ग/इनफोरमल सैक्टर के लिये भूखण्डो का प्रावधान किया गया है, उक्त भूखण्डो का निष्पादन भी तदानुसार किया जावे। राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा अध्यारोपित अन्य शर्तो की अक्षरशः पालना की सुनिश्चितता हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्डो, सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

10. राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 133/4 की रकबा 10 बीघा भूमि के अनुमोदित ले–आऊट प्लान में संशोधन बाबत्।
आवेदक :– श्री शिवदान पुत्र श्री आसूराम जाट

राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 133/4 की रकबा 10 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि का योजना मानचित्र ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 14.03.2012 में अनुमोदित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन चाहा गया है। जोन शाखा

की गार्ड पत्रावली आयोजना शाखा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में संशोधन हेतु प्रेषित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर जोन शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्डो, सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

11. राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 133 की रकबा 10 बीघा भूमि के अनुमोदित ले–आऊट प्लान में संशोधन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती निशा वगैराह।

राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 133 की रकबा 10 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि का योजना मानचित्र ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 14.03.2012 में अनुमोदित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन चाहा गया है। जोन शाखा की गार्ड पत्रावली आयोजना शाखा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में संशोधन हेतु प्रेषित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर जोन शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन

कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्डो, सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

12. राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 133/3 की रकबा 10 बीघा भूमि के अनुमोदित ले–आऊट प्लान में संशोधन बाबत्।
आवेदक :– श्री बागाराम

राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा नम्बर 133/3 की रकबा 10 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि का योजना मानचित्र ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 14.03.2012 में अनुमोदित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन चाहा गया है। जोन शाखा की गार्ड पत्रावली आयोजना शाखा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में संशोधन हेतु प्रेषित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर जोन शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्डो, सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

13. **राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 465/1 की रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा 12 बिस्वांसी भूमि पर होटल प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।**
आवेदक :– मैसर्स मनवार रिसोर्ट एण्ड कैम्प प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मोतीसिंह राठौड़।

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 465/1 की रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा 12 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार होटल प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि पर रिसोर्ट प्रस्तावित किया गया हैं, जो होटल भू–उपयोग में अनुज्ञेय हैं। उक्त भूमि जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क से सरदारसमन्द सड़क को लिंक करने वाली सड़क के उत्तर–पूर्व दिषा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100′ प्रस्तावित किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क से सरदारसमन्द सड़क को लिंक करने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100′ रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50′ भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर रिसोर्ट प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। चूकिं उक्त भूखण्ड रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः इसका भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नही होगा। उक्त प्रस्तावित भूखण्ड का क्षेत्रफल प्राधिकरण को अनुज्ञेय सीमा से अधिक होने के कारण पट्टा जारी करने से पूर्व इस सम्बन्ध में नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुॅच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

14. **राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 569/6 की रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।**
आवेदक :– श्री हुक्माराम

राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 569/6 की रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा

आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक–प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। उक्त भूमि नन्दवान से कुम्हारिया गोया जाने वाली सड़क पर स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि का एप्रोच उपलब्ध होती है। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओ में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100′ निर्धारित किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार नन्दवान से कुम्हारिया गोया जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100′ रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50′ भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने क़ी शर्त पर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त फार्म हाऊस एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा तथा भूखण्ड पर 500 वर्गमीटर से अधिक आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

15. राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 205 की रकबा 0.04.09 बीघा, खसरा नम्बर 206/1 की रकबा 1.09.00 बीघा, खसरा नम्बर 203/1 की रकबा 0.07.18 बीघा, खसरा नम्बर 206/1 मीन की रकबा 1.01.00 बीघा, खसरा नम्बर 206/2 मीन की रकबा 1.19.00 बीघा व खसरा नम्बर 203/2 की रकबा 0.02.00 बीघा कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री भगवानदास कलवानी व श्रीमती राधा
प्रकरण संख्या :– 40/14

राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 205 की रकबा 0.04.09 बीघा, खसरा नम्बर 206/1 की रकबा 1.09.00 बीघा, खसरा नम्बर 203/1 की रकबा 0.07.18 बीघा, खसरा नम्बर 206/1 मीन की रकबा 1.01.00 बीघा, खसरा नम्बर 206/2 मीन की रकबा 1.19.00 बीघा व खसरा नम्बर

203/2 की रकबा 0.02.00 बीघा कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा 7 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि मुख्य पाली सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में मुख्य पाली सड़क का मार्गाधिकार 200' प्रस्तावित किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में तहसीलदार (राजस्व) की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तथा राजस्व नक्शे में तरमीम भी सहीं नही है, जिसके अभाव में प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्भव नही है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त सही पाये जाने पर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

16. राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 149/4 व 149/8 की रकबा 01.09.08 बीघा भूमि पर पैट्रोल–पम्प प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री शहजाद खॉ पुत्र श्री यासीन खॉ
प्रकरण संख्या :– 16/15

राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 149/4 व 149/8 की रकबा 01.09.08 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित जिस पर प्रार्थी द्वारा पैट्रोल–पम्प प्रस्तावित किया गया हैं। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.10 (35) नविवि/3/2010 पार्ट–1, जयपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2012 द्वारा परिधि नियन्त्रण पट्टी में पैट्रोल–पम्प अनुज्ञेय उपयोग माना गया है। प्रश्नगत भूमि मुख्य पाली सड़क पर स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में मुख्य पाली सड़क का मार्गाधिकार 200' प्रस्तावित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त सड़क के दोनो तरफ 100'–100' चौड़ी वृक्षारापेण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि व मुख्य पाली सड़क के मध्य गोचर भूमि स्थित हैं एवं उक्त भूमि के ऊपर से विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही हैं। इसके अतिरिक्त चूकिं उक्त भूमि पर पैट्रोल–पम्प की स्थापना की जानी प्रस्तावित हैं, अतः इस सम्बन्ध में MORTH की गाईड लाईन्स व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रो/नियमों के परिप्रेक्ष्य में भी परीक्षण करवाया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से MORTH की गाईड लाईन्स व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रो/नियमों के परिप्रेक्ष्य तथा पहुँच मार्ग की उपलब्धता के सम्बन्ध में परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर प्रकरण समिति की बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

17. राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नम्बर 28/4 की रकबा 2.0.10 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती पनिया देवी पत्नि श्री मांगीलाल
प्रकरण संख्या :– 50/14

राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा नम्बर 28/4 की रकबा 2.0.10 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि पर आवासीय एकल भूखण्ड प्रस्तावित किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि को मौके पर पहुँच मार्ग हेतु मात्र 30' चौड़ी सड़क उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार उक्त आकार की भूमि पर न्यूनतम 40' चौड़े पहुँच मार्ग की अनिवार्यता है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से न्यूनतम पहुँच मार्ग की उपलब्धता के अभाव में प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

18. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 45/9 की रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती संगीता बेनीवाल पत्नि श्री दीपेश सिंह बेनीवाल
प्रकरण संख्या :– 46/15

राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 45/9 की रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड प्रस्तावित किया गया हैं। प्रश्नगत भूमि राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 45, 45/1 व 46 तथा राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा नम्बर 572 के अनुमोदित योजना मानचित्र में प्रस्तावित सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 45, 45/1 व 46 तथा राजस्व ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा नम्बर 572 के अनुमोदित योजना मानचित्र में प्रस्तावित सड़क से पहुँच मार्ग चाहा गया हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में उक्त कोलोनी के निवासियो द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर पहुँच मार्ग की उपलब्धता व इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई आपत्ति के सम्बन्ध में परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर प्रकरण समिति की बैठक में रखे जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

19. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 292/1 की रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री मंगलाराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम
प्रकरण संख्या :– 122/13

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 292/1 की रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि बाईपास सड़क से औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओ में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100' निर्धारित किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार बाईपास सड़क से औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्डो, सुविधा क्षेत्रो एवं सड़को के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

20. राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 349/2 व 349/5 की रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री महेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल
प्रकरण संख्या :- 06/2014

राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा नम्बर 349/2 व 349/5 की रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि की समीपीय भूमि का योजना मानचित्र ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हैं, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि व समीपीय भूमियो का स्वामित्व एक ही व्यक्ति का पाया गया हैं, जिसके द्वारा खसरे की तरमीम करवाई जाकर भूमि अधिक बिक्री योग्य क्षेत्रफल प्राप्त करने की मंशा से पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये गये है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श कर प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर एकीकृत योजना मानचित्र व तथ्यात्मक रिपोर्ट बनायी जाकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

21. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 47 ब्लाक सी की रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय एकल पट्टा प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री हैदरखान पुत्र श्री दीन मोहम्मद

राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 47 ब्लाक सी की रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क के पूर्व दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200′ प्रस्तावित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त सड़क के दोनो तरफ 75′-75′ चौड़ी वृक्षारापेण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त सड़क के दोनो तरफ 75'–75' भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने की शर्त पर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र, दिनांक 25.03.2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा। चूकिं उक्त भूखण्ड आवासीय उपयोग हेतु एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः इसका भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नही होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

22. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 47 एवं 46/1 ब्लाक डी की रकबा 01 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी व रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय एकल पट्टा प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री इम्तियाज खान पुत्र श्री दीन मोहम्मद

राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 47 एवं 46/1 ब्लाक डी की रकबा 01 बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी व रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क के पूर्व दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' प्रस्तावित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त सड़क के दोनो तरफ 75'–75' चौड़ी वृक्षारापेण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का

अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200′ रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100′ भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त सड़क के दोनो तरफ 75′–75′ भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने की शर्त पर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र, दिनांक 25.03.2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा। चूकिं उक्त भूखण्ड आवासीय उपयोग हेतु एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः इसका भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नही होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुॅच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

23. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 47 ब्लाक ए की रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय एकल पट्टा प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री मोईनुद्दीन पुत्र श्री दीन मोहम्मद

राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 47 ब्लाक ए की रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क के पूर्व दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200′ प्रस्तावित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त सड़क के दोनो तरफ 75′–75′ चौड़ी वृक्षारापेण पट्टी प्रस्तावित की गई है। आवेदित भूमि के दक्षिण–पश्चिमी भाग से होकर एक विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है, जिसके नीचे सेफ्टी कोरीडोर एवं सड़क के मार्गाधिकार हेतु राज्य सरकार के परिप्रत्र क्रमांक प. 18(44)नविवि /जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 में प्रदत्त निर्देशो एवं समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित हैं।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार जयपुर–जैसलमेर

बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त सड़क के दोनो तरफ 75'–75' भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने की शर्त पर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र, दिनांक 25.03.2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा। आवेदित भूमि के दक्षिण–पश्चिमी भाग से होकर एक विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है, जिसके नीचे सेफ्टी कोरीडोर एवं 40' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु राज्य सरकार के परिप्रत्र क्रमांक प.18(44)नविवि /जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 में प्रदत्त निर्देशो के अनुरूप कार्यवाही की गई है, तदानुसार ही पट्टा विलेख जारी किया जावे। चूकिं उक्त भूखण्ड आवासीय उपयोग हेतु एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः इसका भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नही होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

24. राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 47 ब्लाक बी की रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय एकल पट्टा प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री अख्तर खान पुत्र श्री दीन मोहम्मद

राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा नम्बर 47 ब्लाक बी की रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। उक्त भूमि जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क के पूर्व दिशा में स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' प्रस्तावित किया गया है एवं राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा उक्त सड़क के दोनो तरफ 75'–75' चौड़ी वृक्षारापेण पट्टी प्रस्तावित की गई है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार जयपुर–जैसलमेर बाईपास सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि प्राधिकरण के हक में

निःशुल्क समर्पित करने के उपरान्त सड़क के दोनो तरफ 75'–75' भूमि वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखे जाने की शर्त पर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र, दिनांक 25.03.2013 के अनुसार वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण अनुज्ञेय नहीं होगा एवं इस पर गहन वृक्षारोपण किया जाना होगा। चूकिं उक्त भूखण्ड आवासीय उपयोग हेतु एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः इसका भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नही होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

25. राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 75 मीन की रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री प्रेमाराम पुत्र श्री बक्साराम

राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 75 मीन की रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक–प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। उक्त भूमि बुझावड़ से गंगाणा सड़क को लिंक करने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि का एप्रोच उपलब्ध होती है। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओ में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100' निर्धारित किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार बुझावड़ से गंगाणा सड़क को लिंक करने वाली सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त फार्म हाऊस एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा तथा भूखण्ड पर 500 वर्गमीटर से अधिक आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में

बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

26. राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 333/1 व 333/2 की रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले–आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :– श्री रमेश अग्रवाल

राजस्व ग्राम बुझावड़ के खसरा नम्बर 333/1 की रकबा 2.01 बीघा एवं खसरा नम्बर 333/2 की रकबा 2.01 बीघा कुल रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक–प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। उक्त भूमि बुझावड़ से गंगाणा सड़क को लिंक करने वाली सड़क के उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि का एप्रोच उपलब्ध होती है। पूर्ववर्ती अनुमोदित योजनाओ में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100' निर्धारित किया गया है।

प्राधिकरण तहसीलदार एवं कार्यालय की विधि शाखा की रिपोर्ट के अनुसार पर आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नही हैं व आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। भूमि अवाप्ति में नही है। योजना की भूमि में कोई राजकीय भूमि सम्मिलित नही हैं व न हीं किसी प्रकार की प्रतिबन्धित श्रेणी में उक्त भूमि सम्मिलित है। सम्बन्धित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट प्रपत्र भरकर आयोजना शाखा की पत्रावली में सलंग्न कर दिया गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जिसके कम में निदेशक आयोजना द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार बुझावड़ से गंगाणा सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त फार्म हाऊस एकल भूखण्ड के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतः भविष्य में उपविभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा तथा भूखण्ड पर 500 वर्गमीटर से अधिक आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य प्रावधान लागू होगें एवं निर्माण कार्य करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त सुनिश्चितता कर पत्रावली पर उपायुक्त एवं सचिव की स्वीकृति के उपरान्त ही ले–आऊट प्लान जारी किया जावे। साथ ही समिति द्वारा निर्देशित किया गया

कि मौके पर अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्ड के डिमारकेशन के उपरान्त हीं पट्टा विलेख जारी किये जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

27. राजस्व ग्राम लोरड़ी पण्डितजी के खसरा नम्बर 103 व 104 में अवस्थित "विज्ञान नगर आवासीय योजना" के अनुमोदित ले–आऊट प्लान में संशोधन बाबत्।
आवेदक :– सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

राजस्व ग्राम लोरड़ी पण्डितजी के खसरा नम्बर 103 व 104 की भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित रही हैं, जिसका राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक संख्या 122, दिनांक 22.02.2012 में परिधि नियन्त्रण पट्टी से बहुउद्देशीय प्रयोनजार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नगत भूमि का योजना मानचित्र ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 03.07.2015 में अनुमोदित किया गया है। डिमारकेशन के दौरान मौका स्थिति एवं अनुमोदित योजना मानचित्र में भिन्नता आने के कारण पुनः योजना मानचित्र मे संशोधन चाहा गया है।

सम्बन्धित सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित योजना मानचित्र का तकनीकी परीक्षण कर आवश्यक संशोधन किये गये, जिसका अनुमोदन निदेशक आयोजना द्वारा किया गया। समिति द्वारा संशोधित ले–आऊट प्लान का अवलोकन कर निदेशक (आयोजना) द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनो के अनुसार "विज्ञान नगर आवासीय योजना" का संशोधित ले–आऊट प्लान स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

28. श्याम नगर योजना (बालोतरा एवं चौपासनी रोड़ के मध्य स्थित) के अनुमोदित ले–आऊट प्लान में संशोधन बाबत्।
आवेदक :– सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

श्याम नगर योजना के संशोधन बाब्त माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका के निर्णय अनुसार भूखण्डो का नियमन/आवंटन किये जाने हेतु उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा अन्य बिन्दु के रूप में निम्न एजेण्डा के समक्ष रखा गया।

"विषय :– श्याम नगर योजना (बालोतरा एवं चौपासनी रोड के मध्य स्थित) का संशोधित ले–आउट प्लान स्वीकृत करने हेतु।

यह है कि श्याम नगर योजना के 2 अलग–अलग मानचित्र वर्तमान मे है। प्रथम मानचित्र वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर द्वारा दिनांक 10.03.1998 को स्वीकृत किया गया है तथा संशोधित प्लान भी है। जिस पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही है।

यह है कि श्याम नगर योजना के भूखण्डो की लीज डीड एवं आवंटन पत्र पूर्व मे स्वीकृत ले–आउट प्लान अनुसार भी जारी किये हुए है तथा अधिकांश बाद मे संशोधित मानचित्र अनुसार भी लीज डीड एवं आवंटन पत्र जारी किये गये है।

यह है कि श्याम नगर योजना के मानचित्र का मौके से भौतिक सत्यापन तहसीलदार, पटवारी, कनिष्ठ अभिंयता पश्चिम से करवाया गया है। जिसकी मौका रिपोर्ट संलग्न है।

यह है कि श्याम नगर योजना मे विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायलयों मे वाद लम्बित है। भूखण्ड संख्या 194 से 198 माननीय उच्च न्यायालय मे अवमानना याचिका के निर्णय अनुसार भूखण्डों का नियमन/आवंटन किया जाना है। जिसकी आगामी पेशी दिनांक 15.10.2015 को नियत है।

प्लॉट नं. 192 से 199 व 200 से 208 के भूखण्डों के ब्लॉक मे मौके पर भूखण्ड के आकार व ले–आउट प्लान मे अंकित आकार मे अन्तर है। भूखण्ड संख्या 195 से 199 व 200 से 205 के संबंध मे पूर्व मे कनिष्ठ अभियंता द्वारा विस्तृत रिपोर्ट ले–आउट प्लान संशोधन बाबत् की हुई है। संबंधित भूखण्डधारियों ने भी ले–आउट प्लान संशोधन बाबत् अपनी सहमति देना मौके पर बताया तद्नुसार ले–आउट प्लान मे संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। भूखण्ड संख्या 195 का माप 30' गुणा 60' एवं भूखण्ड संख्या 193 का माप 30' गुणा 60', भूखण्ड संख्या 199 का नाप 40' गुणा 60' के नाप अनुसार भूखण्डों की लीज डीड जारी है भूखण्ड संख्या 206 का नाप 30' गुणा 60' का आवंटन पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त भूखण्डों के ब्लॉक का नजरी नक्शा एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। अतः उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु ले–आउट प्लान समिति मे निर्णयार्थ प्रस्तुत है।"

उक्त ऐजेण्डे के साथ ही उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा मौका निरिक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.9.2015, मौके का भौतिक सत्यापन 31.8.2015 तथा प्रस्तावित संशोधित मानचित्र भूखण्ड संख्या 195 से 205 (कुल 11 भूखण्ड) हेतु भी प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में समिति द्वारा विचार किया गया प्रस्ताव में दर्शाये गये भूखण्ड संख्या 200 से 205 के सामने शेष बची 8 फीट चौड़ाई की भूमि को सड़क चौड़ाई में शामिल करते हुए उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।

9/10/15

निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांकः F-37/Dir(P)/LOP/2015/ 05-10 दिनांक :– 09/10/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. उपायुक्त (उत्तर/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, एन.आई.सी., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

9/10/15

निदेशक (आयोजना),
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।